<u>न्यायालयः-अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अकलेरा, जिला-झालावाड़ (राज.)</u>

पीठासीन अधिकारी - आशीष मीना, आर.जे.एस.

नि.फौ.प्रकरण संख्या - 298/2025

राजस्थान राज्य, जरिए अभियोजन अधिकारी, अकलेरा, जिला-झालावाड़ (राज.)

अभियोगी....

बनाम

01- प्रेमचंद पुत्र कल्याण,

02- मनोज पुत्र कल्याण,

03- कमलेश पुत्र रामलाल,

04- भूरालाल पुत्र रामलाल,

05- श्रीकल्याण पुत्र अमरलाल,

06- मस्तराम पुत्र बाबूलाल,

07- पप्पूलाल पुत्र कल्याण, निवासीगण-अमृतखेड़ी, पुलिस थाना अकलेरा, जिला झालावाड़

अभियुक्तगण....

<u>अपराध अन्तर्गत धारा 189(2), 126(2), 115(2), 118(1), 118(2), 352 भारतीय न्याय संहिता व धारा 4/25 आर्म्स एक्ट</u>

<u>उपस्थितः-</u>

1. विद्वान अभियोजन अधिकारी, राज्य की ओर से।

2. श्री भूरालाल मीना, विद्वान अधिवक्ता, अभियुक्तगण की ओर से।

<u>निर्णय</u> दिनांकः- 07-03-2026

01- थानाधिकारी पुलिस थाना अकलेरा की ओर से जरिए अभियोजन अधिकारी यह आरोप पत्र भारतीय न्याय संहिता की धारा 189(2), 115(2), 126(2), 118(1), 118(2), 352 व धारा 4/25 आर्म्स एक्ट का अपराध कारित किए जाने का अभियोग लगाते हुए अभियुक्तगण के विरूद्ध इस न्यायालय में दिनांक 29-03-2025 को पेश किया गया।

02- प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि दिनांक 03-11-2024 को फरियादी रामसिंह ने सीएचसी अकलेरा में मजरूबी हालत में एक तहरीरी रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि दिनांक 03.11.2024 को समय करीब 6 बजे की बात है कि उनके गांव घास भैरव की सवारी निकल रही थी कि गांव की पंचायती कुए के सामने घास भैरव की सवारी आई तो वह व उसके ब्याईजी कैलाश व परिवार वाले घास भैरव की सवारी के ढोक दे रहे थे कि वहां पर मनोज पुत्र श्रीकल्याण, प्रेमचंद पुत्र श्रीकल्याण, प्रेमचंद पुत्र हरिओम, पप्पूलाल पुत्र श्रीकल्याण, श्रीकल्याण पुत्र अमरलाल बिलोनिया, कमलेश पुत्र हीरालाल बिलोनिया, हरिओम पुत्र मदनलाल, राकेश पुत्र घासीलाल, कमलेश पुत्र रामालाल, भूरालाल पुत्र रामलाल, देवीलाल पुत्र रामलाल, रामचरण पुत्र बाबूलाल, मस्तराम पुत्र बाबूलाल, नंदूबाई पत्नी रामलाल मीणा आए और आते ही उसे गाली गलौच करने लगे। मनोज ने उसके हाथ में तलवार थी जिसकी उसके मारी जिससे

उसके बांया पैर के घुटने के नीचे लगी, खून निकल आया फिर हरिओम ने पत्थर की दी जिससे उसके सिर में लगी। उसके ब्याईजी कैलाश के हरिओम के पास की तलवार की दी जो कैलाश के बांए कंधे पर लगी, खून निकल आया। कमलेश, श्रीकल्याण बिलोनिया के पास लकड़ी थी जिसकी कैलाश के दी जो एक चोट सिर में व पीठ पर चोटें आई। इन सभी ने मिलकर उसके व उसके ब्याईजी कैलाश के चोटें आई हैं कि घटना के समय गवाह जगदीश पुत्र मांगीलाल, बीरमचंद पुत्र प्रभूलाल, रामप्रसाद पुत्र मांगीलाल, चौथमल पुत्र प्रभूलाल, निवासी अमृतखेड़ी ने बीच बचाव किया तो नहीं तो उसके साथ व उसके ब्याईजी के साथ ज्यादा मारपीट करते।, इत्यादि।

03- उपरोक्त तहरीरी रिपोर्ट पर पुलिस थाना अकलेरा पर मुकदमा एफ.आई.आर. संख्या 525/2024, अन्तर्गत धारा 189(2), 126(2), 115(2), 352 भा.न्या.सं. दर्ज कर अनुसंधान प्रारम्भ किया गया। बाद अनुसंधान अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 189(2), 126(2), 1115(2), 118(1), 118(2), 352 भा.न्या.सं. व धारा 4/25 आर्म्स एक्ट में आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। जिसपर न्यायालय द्वारा इन्हीं धाराओं में प्रसंज्ञान लिया जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर करने के आदेश दिए गए।

04- अभियुक्तगण को धारा 189(2), 126(2), 1115(2), 118(1), 118(2), 352 भा.न्या.सं. व धारा 4/25 आर्म्स एक्ट के आरोप पृथक से विरचित कर सुनाये व समझाये गये तो अभियुक्तगण ने आरोपों से इन्कार कर अन्वीक्षा चाही।

05- अभियोजन पक्ष ने अपनी अभियोजन कहानी के समर्थन में पी.डब्ल्यू. 01 राजाराम, पी.डब्ल्यू. 02 शिवराज, पी.डब्ल्यू. 03 नवीन, पी.डब्ल्यू. 04 रामसिंह, पी.डब्ल्यू. 05 कैलाश, पी.डब्ल्यू. 06 जगदीश पुत्र मांगीलाल, पी.डब्ल्यू. 07 बीरम, पी.डब्ल्यू. 08 दशरथ शर्मा, पी.डब्ल्यू. 09 जयप्रकाश, पी.डब्ल्यू. 10 हरिराज, पी.डब्ल्यू. 11 रामप्रसाद, पी.डब्ल्यू. 12 जगदीश पुत्र कल्याण को परीक्षित करवाया तथा दस्तावेजी साक्ष्य में अभियोजन पक्ष की ओर से प्रदर्श पी. 1 लगायत प्रदर्श पी. 19 तक के दस्तावेजात प्रदर्शित करवाए गए।

06- साक्ष्य अभियोजन बन्द की गई तथा अभियुक्तगण परीक्षण अन्तर्गत धारा 313 दं.प्र.सं. किया गया, तो अभियुक्तगण ने अपने विरूद्ध आई साक्ष्य को असत्य होना व स्वयं को निर्दोष होना बताया तथा बचाव साक्ष्य पेश नहीं करना जाहिर किया, जिसपर साक्ष्य सफाई बन्द की गई।

07- बहस अन्तिम सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

08- दौराने बहस विद्वान अभियोजन अधिकारी का तर्क रहा है कि पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक एवं दस्तावेज़ी साक्ष्य से अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपित अपराध संदेह से परे साबित है। अतः अभियुक्तगण को आरोपित अपराध में दोषसिद्ध किया जाकर यथोचित दण्ड से दण्डित किया जाए।

09- इसके विपरीत विद्वान अधिवक्ता अभियुक्तगण का तर्क रहा है कि अभियोजन पक्ष अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपित अपराध संदेह से परे साबित करने में पूर्णतः असफल रहा

है। प्रकरण में अभियोजन की ओर से परीक्षित घटना के चश्मदीद साक्षीगण की साक्ष्य में गंभीर विरोधाभास है तथा घटना का कोई स्वतंत्र चश्मदीद साक्षी नहीं बनाया गया है एवं सभी गवाहान परिवार जन होकर हितबद्ध गवाहान है। अतः अभियुक्तगण को आरोपित अपराध में दोषमुक्त किया जाए।

10- बहस उभय पक्ष सुनने एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन करने के उपरांत न्यायालय के समक्ष मुख्य रूप से विचारणीय बिन्दु निम्न है, कि-

(1). आया अभियुक्तगण ने दिनांक 03-11-2024 को समय सुबह शाम 6.00 पीएम के लगभग मौजा अमृतखेड़ी, अकलेरा में फरियादी रामसिंह व कैलाश के साथ सह-अभियुक्तगण के साथ मिलकर मारपीट करने के सामान्य उद्देश्य के अग्रसरण में पांच या पांच से अधिक की संख्या में मिलकर विधि विरूद्ध समूह का गठन कर फरियादीगण को सदोष अवरोध कारित कर उनके साथ स्वेच्छया कुन्द व धारदार हथियार से मारपीट कर उनके शरीर पर साधारण व गम्भीर प्रकृति की उपहतियां कारित कर फरियादीगण को फोश गालियां देकर साशय अपमानित कर फरियादीगण को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास किया व दौराने अनुसंधान तलवार व अन्य धारदार हथियार बरामद किए जिसे स्वयं के कब्जे में रखने का कोई वैध अनुज्ञा पत्र नहीं था। इस प्रकार क्या अभियुक्तगण ने धारा 189(2), 126(2), 1115(2), 118(1), 118(2), 352 भा.न्या.सं. व धारा 4/25 आर्म्स एक्ट के तहत् दण्डनीय अपराध कारित किया?

(2). यदि हां तो दोषी होने पर दण्ड की मात्रा कितनी हो?

11- उपरोक्त विचारणीय बिन्दु के संबंध में पत्रावली का सुक्ष्मता से विश्लेषण किया गया। हस्तगत प्रकरण फरियादी रामसिंह द्वारा प्रस्तुत तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी. 15 पर आधारित है, जिसमें उसने अंकित किया है कि दिनांक 03.11.2024 को समय करीब 6 बजे की बात है कि उनके गांव घास भैरव की सवारी निकल रही थी कि गांव की पंचायती कुए के सामने घास भैरव की सवारी आई तो वह व उसके ब्याईजी कैलाश व परिवार वाले घास भैरव की सवारी के ढोक दे रहे थे कि वहां पर मनोज पुत्र श्रीकल्याण, प्रेमचंद पुत्र श्रीकल्याण, प्रेमचंद पुत्र हरिओम, पप्पूलाल पुत्र श्रीकल्याण, श्रीकल्याण पुत्र अमरलाल बिलोनिया, कमलेश पुत्र हीरालाल बिलोनिया, हरिओम पुत्र मदनलाल, राकेश पुत्र घासीलाल, कमलेश पुत्र रामालाल, भूरालाल पुत्र रामलाल, देवीलाल पुत्र रामलाल, रामचरण पुत्र बाबूलाल, मस्तराम पुत्र बाबूलाल, नंदूबाई पत्नी रामलाल मीणा आए और आते ही उसे गाली गलौच करने लगे। मनोज ने उसके हाथ में तलवार थी जिसकी उसके मारी जिससे उसके बांया पैर के घुटने के नीचे लगी, खून निकल आया फिर हरिओम ने पत्थर की दी जिससे उसके सिर में लगी। उसके ब्याईजी कैलाश के हरिओम के पास की तलवार की दी जो कैलाश के बांए कंधे पर लगी, खून निकल आया। कमलेश, श्रीकल्याण बिलोनिया के पास लकड़ी थी जिसकी कैलाश के दी जो एक चोट सिर में व पीठ पर चोटें आई। इन सभी ने मिलकर उसके व उसके ब्याईजी कैलाश के चोटें

आई हैं कि घटना के समय गवाह जगदीश पुत्र मांगीलाल, बीरमचंद पुत्र प्रभूलाल, रामप्रसाद पुत्र मांगीलाल, चौथमल पुत्र प्रभूलाल, निवासी अमृतखेड़ी ने बीच बचाव किया तो नहीं तो उसके साथ व उसके ब्याईजी के साथ ज्यादा मारपीट करते।, इत्यादि।

12- प्रकरण में अभियोजन की ओर से कुल 12 गवाहान को न्यायालय के समक्ष पेश कर परीक्षित करवाया गया है, जिनमें सर्वप्रथम गवाह प्रकरण का फरियादी रामसिंह न्यायालय के समक्ष पी.डब्ल्यू. 04 के रूप में परीक्षित हुआ है जिसने न्यायालय बयान में अपने मुख्य परीक्षण में अपने द्वारा प्रस्तुत तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी. 15 की ताईद की है। जिरह में उक्त गवाह ने अभिकथित किया है कि दो तीन सौ लोग जुलुस में थे। घासभैरू की सवारी निकल रही थी। उस समय भगदड़ मच गई थी जिससे अफरा तफरी मच गई थी जिसमें लोग बाग नीचे भी गिर गए थे। हाजिर अदालत मुल्जिमान ने उनके साथ मारपीट नहीं की। भीड़ में से लोगों ने पत्थर फेंके थे जिससे उनके चोटें आई थी। उनके विरूद्ध भी मुल्जिमान के साथ मारपीट का मुकदमा न्यायालय में चल रहा है। उसके किसकी चोट लगी थी, उसे याद नहीं है, वह तो पत्थर की लगते ही वह नीचे गिर गया था।

13- गवाह पी.डब्ल्यू. 01 राजाराम है जिसके द्वारा प्रकरण में अनुसंधान किया गया है। जिरह में उक्त गवाह ने अभिकथित किया है कि उसे धारा 23(2) की सूचना थाने में ही दी थी। सूचना किस-किस समय पर दी, उसे ध्यान नहीं है। बरामदगी स्थल खुली जगह है जहां झाड़ियां है जहां पर कोई भी आदमी आ जा सकता है। उक्त गवाह ने स्वीकार किया है कि तलवार, लकड़ियों पर खून के दाग धब्बे नहीं थे।

14- गवाह पी.डब्ल्यू. 02 शिवराज है। उक्त गवाह ने न्यायालय बयानों में कथन किया है कि उसके सामने कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ। मजरूबान रामसिंह, कैलाश, चौथमल के साथ मुल्जिमान द्वारा मारपीट नहीं की गई। उसके पुलिस में बयान नहीं हुए।

15- गवाह पी.डब्ल्यू. 03 नवीन है जो कि मुल्जिमान की फर्द गिरफ्तारी प्रदर्श पी. 01 लगायत पी. 07 का गवाह है। उक्त गवाह फर्द जप्ती तलवार प्रदर्श पी. 11 एवं फर्द बरामदगी लकड़ी प्रदर्श पी. 12, फर्द बरामदगी बांस की लकड़ी प्रदर्श पी. 13 व बरामदगी स्थल का नक्शा मौका प्रदर्श पी. 14 का गवाह है। जिरह में उक्त गवाह ने अभिकथित किया है कि बरामदगी स्थल आम रास्ते के पास ही है। आईओ ने किसी को स्वतंत्र गवाह नहीं बनाया था। बरामदगी स्थल के पास ढाबे बने हुए हैं जो कि दूर हैं। आईओ ने किसी को स्वतंत्र गवाह बनाने के लिए भेजा था। तलवार पर किसी प्रकार के खून के दाग धब्बे नहीं थे। लकड़ी पर कोई स्पेस्फिक पहचान नहीं थी।

16- गवाह पी.डब्ल्यू. 05 कैलाश, पी.डब्ल्यू. 06 जगदीश पुत्र मांगीलाल, पी.डब्ल्यू. 07 बीरम, पी.डब्ल्यू. 10 हरिराज, पी.डब्ल्यू. 11 रामप्रसाद, पी.डब्ल्यू. 12 जगदीश पुत्र कल्याण है। उक्त गवाहान ने एक स्वर में कथन किया है कि दो तीन सौ लोग जुलुस में थे। घासभैरू की सवारी निकल रही थी। उस समय भगदड़ मच गई थी जिससे अफरा तफरी मच गई थी जिसमें लोग बाग नीचे भी गिर गए थे। आज हाजिर अदालत मुल्जिमान ने उनके साथ मारपीट नहीं की। भीड़ में से लोगों ने पत्थर फेंके थे जिससे उनके चोटें आई थी। उनके विरूद्ध

भी मुल्जिमान के साथ मारपीट का मुकदमा न्यायालय में चल रहा है। गवाह पी.डब्ल्यू. 10 हरिराज, पी.डब्ल्यू. 11 रामप्रसाद ने भी स्वीकार किया है कि मुल्जिमान ने उनके सामने कोई मारपीट नहीं की थी। गवाह पी.डब्ल्यू. 12 जगदीश ने कथन किया है कि तलवार, लाठियों से कोई मारपीट नहीं हुई थी।

17- गवाह पी.डब्ल्यू. 09 है जो कि वक्त घटना मालखाना इंचार्ज था। गवाह पी.डब्ल्यू. 08 दशरथ शर्मा है। उक्त गवाह द्वारा पत्रावली पर अनुसंधान किया गया था। जिरह में उक्त गवाह ने अभिकथित किया है कि घटना के समय दो सौ आदमी करीबन जुलुस में थे। उसने घटनास्थल के आसपास के लोगों से पूछताछ नहीं की थी। जो हथियार एएसआई ने जप्त किए थे उन पर कोई खून के दाग धब्बे नहीं थे। उसके सामने धारा 23(2) साक्ष्य अधिनियम की सूचना उसके सामने नहीं दी थी।

18- इस प्रकार फरियादी सहित अन्य मजरूब गवाहान ने एक स्वर में कथन किया है कि दो तीन सौ लोग जुलुस में थे। घासभैरू की सवारी निकल रही थी। उस समय भगदड़ मच गई थी जिससे अफरा तफरी मच गई थी जिसमें लोग बाग नीचे भी गिर गए थे। मुल्जिमान ने उनके साथ मारपीट नहीं की थी। भीड़ में से लोगों ने पत्थर फेंके थे जिससे उनके चोटें आई थी। प्रकरण में जप्ती संबंधित कोई स्वतंत्र गवाह नहीं बनाए गए और ना ही गवाह बनाने की कोशिश की गई जबकि बरामदगी स्थल के पास ढाबे बने हुए हैं। जप्ती से संबंधित गवाह ने यह भी स्वीकार किया है कि लकड़ी पर कोई स्पेसिफिक पहचान नहीं थी। तलवार, लकड़ियों पर कोई भी खून के दाग धब्बे नहीं थे। प्रकरण में किसी भी गवाहान की साक्ष्य से अपराध कारित किया जाना साबित नहीं हुआ है।

19- इस प्रकार पत्रावली पर उपलब्ध सम्पूर्ण साक्ष्य के सुक्ष्म विश्लेषण व उपरोक्त विवेचन से अभियोजन पक्ष इस तथ्य को युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्तगण ने दिनांक 03-11-2024 को समय सुबह शाम 6.00 पीएम के लगभग मौजा अमृतखेड़ी, अकलेरा में फरियादी रामसिंह व कैलाश के साथ सह-अभियुक्तगण के साथ मिलकर मारपीट करने के सामान्य उद्देश्य के अग्रसरण में पांच या पांच से अधिक की संख्या में मिलकर विधि विरूद्ध समूह का गठन कर फरियादीगण को सदोष अवरोध कारित कर उनके साथ स्वेच्छया कुन्द व धारदार हथियार से मारपीट कर उनके शरीर पर साधारण व गम्भीर प्रकृति की उपहतियां कारित कर फरियादीगण को फोश गालियां देकर साशय अपमानित कर फरियादीगण को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास किया व दौराने अनुसंधान तलवार व अन्य धारदार हथियार बरामद किए जिसे स्वयं के कब्जे में रखने का कोई वैध अनुज्ञा पत्र नहीं था। अतः अभियुक्तगण धारा 189(2), 126(2), 1115(2), 118(1), 118(2), 352 भा.न्या.सं. व धारा 4/25 आर्म्स एक्ट के अपराध के आरोप में संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त घोषित किए जाने योग्य है।

आदेश

20- अतः अभियुक्तगण 01- प्रेमचंद पुत्र कल्याण, 02- मनोज पुत्र कल्याण, 03- कमलेश पुत्र रामलाल, 04- भूरालाल पुत्र रामलाल, 05- श्रीकल्याण पुत्र अमरलाल, 06-

मस्तराम पुत्र बाबूलाल, 07- पप्पूलाल पुत्र कल्याण, निवासीगण-अमृतखेड़ी, पुलिस थाना अकलेरा, जिला झालावाड़ को आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा 189(2), 126(2), 1115(2), 118(1), 118(2), 352 भा.न्या.सं. व धारा 4/25 आर्म्स एक्ट के आरोप में संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त घोषित किया जाता है। अभियुक्तगण के पूर्व के हाजरी बाबत जमानत मुचलके निरस्त किये जाते हैं।

21- अभियुक्तगण को यह भी आदेश दिया जाता है कि वे प्रकरण में अपील होने की सूरत में माननीय अपीलीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने हेतु धारा 437क द.प्र.सं. के तहत 10,000-10,000/- के जमानत मुचलके पेश कर तस्दीक करावे जो कि बाद कराने तस्दीक छः माह तक प्रवर्तन में रहेंगे।

(आशीष मीना)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
अकलेरा, जिला झालावाड़ राज.

22- निर्णय आज दिनांक 07-03-2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया एवं हस्ताक्षरित किया गया।

(आशीष मीना)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
अकलेरा, जिला झालावाड़ राज.

<u>प्रमाण-पत्र</u>

निर्णय में किए गए सभी संशोधनों को अपलोड करने से पूर्व समाविष्ट कर लिया गया है।

RAJARAM MEENA

Steno Gr. III
"Authenticate Document"
Digitally signed by RAJARAM MEENA
Date: 2026.02.09 10:42:36 +0530

नोटः- यह प्रतिलिपि प्रार्थी/अधिवक्ता की जानकारी के लिए है। सत्यापित प्रतिलिपि न्यायालय से प्राप्त कर सकते हैं।